204/2024

| | | |
|---|---|---|
| 15/1/25 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विप्रार्थीगण की रजिस्ट्री नोटिस तामीली होने के उपरांत भी विप्रार्थी उपस्थित नहीं हो रहे है,जो एकपक्षीय कार्यवाही की जावे। विप्रार्थीगण की तामीली हुए लगभग 05 माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी विप्रार्थी उपस्थित नहीं हो रहे है। ऐसी सूरत में विप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। तत्पश्चात प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीगण/वादीगण माफिक अनुतोष पाने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य मौका स्थिति को लेकर विवाद आगे ओर नही बढे। इस कारण स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम द्रष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद–विवाद हो जाता है,तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में उभयपक्ष को पाबंद किया जाना न्यायसंगत प्रतीत लगता है।<br>उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनते है।<br>लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर ग्राम नयापुरा की खसरा संख्या 481 क्षेत्रफल 12.3672 हैक्टयर भूमि के संबध में मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु उभयपक्ष को मूलवाद के निर्णय तक पाबंद किया जाता है।<br>पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। | |

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा